



कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर

-11ए/मुअजसं/एफए/2009/458/अअ/2985

दिनांक:- 23-10-09

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:2(3)/वित्त/व्यय-3/97, दिनांक 24.5.99 द्वारा जारी लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम (चतुर्थ संस्करण) के नियम-334 परिशिष्ट (XVI) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सल्टिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 67-68 सैक्टर-25, फरीदाबाद(हरियाणा) का इस विभाग में सिविल कार्यों के लिए अअ श्रेणी में एतद द्वारा स्थाई पंजीयन किया जाता है। फर्म का पता निम्न प्रकार है :-

मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सल्टिंग कारपोरेशन लिमिटेड,  
67-68 सैक्टर-25, फरीदाबाद  
(हरियाणा)।

फर्म की ओर से समस्त पत्र व्यवहार निविदा लेने/देने,नेगोसिएशन में भाग लेने एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्व श्री कमल किशोर शर्मा, ज्योईन्ट जनरल मैनेजर अधिकृत है। फर्म को पंजीयन कोड निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है:-

मुअजसं/सिविल/अअ/148/2009

शर्त:-

- 1- फर्म द्वारा अपने समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी कर्मचारी (बी.ई सिविल) उपलब्ध रखा जावेगा। यदि उपरोक्त की अवहेलना की गई तो फर्म का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।
- 2- फर्म को समय समय पर संशोधित प्रभावी नियमों की संबंधित सीमा में कार्य करने एवं निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त आदेश मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज0 जयपुर की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

वित्तीय सलाहकार  
जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांक:-11ए/मुअजसं/एफए/2009/458/अअ/2986-91 दिनांक:- 23-10-09  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,(भवन एवं पथ) राज0 जयपुर/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज0 जयपुर/उत्तरसंभाग, हनुमानगढ/आई.डी.आर. जयपुर/झागानप, बीकानेर/जैसलमेर/नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर/परियोजना निदेशक, सिद्धमुख नोहर परि0 हनुमानगढ/संभाग, कोटा।
- 2-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त (समस्त)
- 4-अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड (समस्त)
- 5-मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सल्टिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 67-68 सैक्टर-25, फरीदाबाद(हरियाणा)।
- 6-रक्षा पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार  
जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।